न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/301

मांगीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. रामकुंवार आत्मज बरधा जाति मीणा निवासी काबुल ।
2. रामलाल आत्मज बरधा जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. पन्ना लाल आत्मज बरधा जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. बृह्मानन्द आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
   3/2. सुरेश आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
   3/3. नरेश आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
   3/4. मनभर पत्नी पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
4. श्रीमती मिश्री बाई पत्नी रामकुंवार जाति मीणा निवासी काबुल ।
5. श्रीमती लटूरी बाई पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
   मूलचन्द आत्मज गौमदा जाति मीणा निवासी काबुल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
6. धनराज आत्मज मूलचन्द जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली ।
7. काली बाई बेवा मूलचन्द जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली ।
8. चन्द्र बाई पुत्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. धापू बाई पुत्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 495 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खातेदारी में अंकित है और वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है । प्रतिवादीगण बदनियति पूर्वक बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये तथा कानून को हाथ में लेकर उक्त वादग्रस्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को कोई कूननी अधिकार नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करें । उक्त कार्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 131.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब करने पर प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता महोदय द्वारा अंण्डर टेकिंग पेश कर वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा और पत्रावली जवाब दावा व वकालतनामा पेश करने हेतु आदेशिका में नियत थी । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । लोक अदालत का नोटिस जारी होने पर अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुआ और प्रार्थी मूलचन्द का देहान्त हो जाने से उनकी ओर से कायमुकामान इत्यादि कोई पेश नहीं हुए हैं और अपीलान्ट से यही कहा गया कि अभी तो मूलचन्द मर जाने से कायममुकामान का प्रार्थना पत्र पेश होकर कायममुकामान बनाये जाएगें । आप अपना जवाब, साक्ष्य आदि न्यायालय में पेश कर देना और राजीनामा नहीं होने से लोक अदालत में निर्णय पारित नहीं होगा इसके उपरान्त प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में निरन्तर तलाश करता रहा परन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम दिनांक 23.04.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 07.05.2018 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के लिए पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में दावा खारिज किया है । लोक अदालत में दिनांक 31.05.2017 को पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना दावा खारिज किया गया है । आदेशिका के अनुसार दिनांक 03.04.2017 को प्रतिवादी की ओर से श्री शम्भूदयाल शर्मा, एडवोकेट की ओर से अण्डर टेकिंग पत्रावली पर दी गई । इसके उपरान्त वकालतनामा पेश करने के लिए कुछ तारीख दी गई और दिनांक 31.05.2017 को इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । मूलचन्द की दिनांक 31.05.2017 से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी उसके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । लोक अदालत में अपीलान्ट उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत की भावना से पक्षकारान की उपस्थिति में विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.04.2017 के अनुसार पत्रावली वकालतनामा पेश करने के लिए लम्बित थी और इसको दिनांक 31.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में मांगीलाल वादी, पन्ना लाल प्रतिवादी कम 03, रामकुंवर प्रतिवादी संख्या 01 वकील प्रतिवादी एवं वकील वादी उपस्थिति अंकित की गई है । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

11. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट ने धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है और ऐसा निर्णय जो अवैध होता है उसमें लिमिटेशन का प्रश्न गौण हो जाता है । अतः हम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण को विधिक निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा